रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062025-263943 CG-DL-E-18062025-263943

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 426] No. 426] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2025/ज्येष्ठ 23, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2025/JYAISTHA 23, 1947

भारतीय भेषजी परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2025

सं. एफ.19-1/2025.—पीसीआई भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 18 की उपधारा (1) के साथ पिठत उपधारा (2) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय भेषजी परिषद, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थातु:–

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय भेषजी परिषद (जांच करने और शास्ति के अधिरोपित करने की रीति) विनियम, 2025 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. परिभाषाएं.- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.-
- (क) "अधिनियम" से भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) अभिप्रेत है;
- (ख) " न्यायनिर्णयन अधिकारी" से अधिनियम की धारा 43क के अधीन अधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ग) "अपीलकर्ता" से न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से व्यथित व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 43क की उपधारा
- (2) के अधीन अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील करता है:

3813 GI/2025 (1)

- (घ) "अपील प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 43क की उपधारा (2) में निर्दिष्ट केंद्रीय परिषद का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ङ) "प्ररूप" से इन विनियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां और जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए निर्दिष्ट हैं।
- 3. शिकायत.– कोई भी व्यक्ति अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के संबंध में न्यायनिर्णायन अधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से प्ररूप-I में शिकायत दर्ज करा सकता है।
- 4. जांच करना.– (1) विनियम 3 के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर न्यायनिर्णयन अधिकारी उस व्यक्ति को प्ररूप-II में नोटिस जारी करेगा, जिसके विरुद्ध ऐसी शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर (इसकी तामील की तारीख से सात दिन से कम नहीं) कारण बताए कि उसके विरुद्ध जांच क्यों न की जाए।
- (2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत प्रत्येक नोटिस में कथित किए गए उल्लंघन की प्रकृति का उल्लेख किया जाएगा।
- (3) ऐसे व्यक्ति द्वारा बताए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात, न्यायनिर्णयन अधिकारी की राय है कि जांच की जानी चाहिए, वह नोटिस जारी करेगा जिसमें उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या उसके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से ऐसी तारीख पर उपस्थित होने की अपेक्षा होगी, जो नोटिस में नियत की गई है।
- (4) नियत तारीख पर, न्यायनिर्णयन अधिकारी उस व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, कथित उल्लंघन और ऐसे उल्लंघन के संबंध में अधिनियम के उपबंधों के बारे में बताएगा।
- (5) न्यायनिर्णयन अधिकारी, तब ऐसे व्यक्ति को प्ररूप-III में ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा, जिन्हें वह जांच के लिए सुसंगत समझे और यदि आवश्यक हो, तो सुनवाई को भविष्य की तारीख तक स्थगित किया जा सकता है: परंतु यह कि इन विनियमों के अधीन कोई साक्ष्य लेने में न्यायनिर्णयन अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) के उपबंधों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- (6) इन विनियमों के अधीन जांच करते समय न्यायनिर्णयन अधिकारी साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है और उसे बाध्य कर सकता है, जो न्यायनिर्णयन अधिकारी की राय में जांच के विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकता है।
- (7) यदि कोई व्यक्ति उप-विनियम (3) के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, उपेक्षा करता है या उपस्थित होने से इंकार करता है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में जांच को आगे बढ़ा सकता है।
- (8) यदि न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात न्यायनिर्णयन अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि व्यक्ति ने उल्लंघन किया है, तो वह लिखित आदेश द्वारा अधिनियम के अधीन ऐसी शास्ति लगा सकता है, जिसे वह उचित समझे।
- (9) उप-विनियम (8) के अंतर्गत किए गए प्रत्येक आदेश में अधिनियम के उस उपबंध को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसके संबंध में उल्लंघन किया गया है तथा उसमें शास्ति लगाने के कारण भी शामिल होंगे।
- (10) उप-विनियम (8) के अंतर्गत पारित प्रत्येक आदेश पर न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा दिनांक अंकित की जाएगी तथा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- (11) इस विनियमन के अंतर्गत पारित आदेश की एक प्रति तथा कार्यवाही की अन्य सभी प्रतियां शिकायतकर्ता तथा उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध जांच की गई थी, निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।
- (12) न्यायनिर्णयन अधिकारी उप-विनियम (1) के अंतर्गत विरोधी पक्ष को नोटिस जारी किए जाने के छह माह के भीतर कार्यवाही पूरी करेगा।
- (13) इन विनियमों के अधीन जारी किया गया कोई नोटिस या आदेश उस व्यक्ति को निम्नलिखित में से किसी भी रीति से, तामील किया जाएगा जिसके विरुद्ध जांच की गई है, अर्थात्:-
 - (क) उस व्यक्ति या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को सौंपकर या प्रस्तुत करके; या

- (ख) उस व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा उसके निवास स्थान या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या उस स्थान के पते पर भेजकर, जहां उसने व्यवसाय किया था या अंतिम बार व्यवसाय किया था या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम किया था या अंतिम बार काम किया था; या
- (ग) यदि इसे खंड (क) या (ख) के अधीन निर्दिष्ट रीति से तामील नहीं किया जा सकता है, तो इसे उस परिसर के बाहरी दरवाजे या किसी अन्य विशिष्ट भाग पर चिपकाकर, जिसमें वह व्यक्ति रहता है या जिसके बारे में ज्ञात है कि उसने अंतिम बार निवास किया था या व्यवसाय किया था या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम किया था या अंतिम बार काम किया था।
- (14) इन विनियमों के अधीन जांच करने के प्रयोजनों के लिए न्यायनिर्णयन अधिकारी अधिनियम के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रारों या निरीक्षकों की सहायता ले सकता है।
- 5. अपील.- (1) इन विनियमों के अधीन न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति अपील प्राधिकारी के समक्ष प्ररूप-IV में अपील कर सकता है।
 - (2) अपील, आदेश की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर अपील प्राधिकारी के समक्ष दायर की जाएगी:
 - परंतु, यदि अपीलकर्ता अपील प्राधिकारी को संतुष्ट कर देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण है, यह अपील, पैंतालीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद स्वीकार की जा सकती है,
 - (3) अपील के साथ विनियम 4 के उप-विनियम (8) के अधीन जारी न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की एक प्रति और अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन अपील के आधारों और उल्लंघन जिनके संबंध में अपील की गई है,के तथ्यों का स्पष्ट विवरण संलग्न किया जाएगा।
 - (4) अपील अपीलकर्ता या विधिवत रूप से लिखित में उसकी ओर से नियुक्त उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा, व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तीन प्रतियों में दर्ज की जाएगी।
 - (5) डाक द्वारा भेजी गई अपील को अपील प्राधिकारी के समक्ष प्राप्त होने के दिन दर्ज किया हुआ माना जाएगा।
 - (6) संवीक्षा करने पर यदि अपील सही पाई जाती है तो उसे स्वीकार किया जाएगा।
 - (7) यदि अपील दोषपूर्ण पाई जाती है, उसे, पक्षकार को नोटिस देने के बाद, अनुपालन के लिए वापस कर दिया जाएगा और यदि ऐसे नोटिस की प्राप्ति के इक्कीस दिनों के भीतर या दिए गए विस्तारित समय के भीतर, दोष को ठीक नहीं किया जाता है, अपील प्राधिकारी, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, अपील को अस्वीकार कर सकते हैं।
 - (8) अपील प्राधिकारी द्वारा अपील की एक प्रति प्रतिवादी को दस्ती या रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जाएगी।
 - (9) प्रतिवादी, अपील का नोटिस दिए जाने के तीस दिन के भीतर, अपील प्राधिकारी को उत्तर दर्ज करा सकता है।
 - (10) अपील प्राधिकारी न्यायनिर्णयन अधिकारी से कार्यवाहियों से संबंधित अभिलेख मांग सकता है।
 - (11) अपील प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिसे वह उचित समझे।
 - (12) अपील प्राधिकारी अपील दर्ज करने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा।
- 6. आदेश और शास्ति.– (1) इन विनियमों के अधीन जारी प्रत्येक आदेश,तारीख सहित हस्ताक्षरित किया जाएगा और सभी पक्षकारों इसकी सूचना दी जाएगी।
 - (2) इन विनियमों के अधीन शास्तियों के माध्यम से वसूल की गई समस्त धनराशि संबंधित राज्य फार्मेसी परिषद के खाते में जमा की जाएगी।

अनिल मित्तल, रजिस्ट्रार-सह-सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./159/2025-26]

_		_
П	-	_
м	4614	_

(विनियम 3 देखें)

	(विगियम ७ ५७)		
	सेवा में,		
	न्यायनिर्णयन अधिकारी		
	1. शिकायतकर्ता का विवरण:-		
	(क) नाम:		
	(ख) तामील के लिए पता:		
	(ग) संपर्क नंबर:		
	(घ) ईमेल (तामील के लिए):		
	2. शिकायत का विवरण:-		
	(क) कथित उल्लंघन या चूक की तारीख, समय और प्रकार:		
	(ख) उल्लंघन या चूक का विवरण जिसमें सभी सुसंगत भौतिक विवरण दिए गए हों:		
	(ग) विवरण के समर्थन में साक्ष्य:		
	(घ) संभावित दावा की गई राशि (धन संबंधी शर्तों में) विवरण के साथ:		
	मैं/हमशिकायतकर्ताघोषणा करता हूँ/करते हैं कि इसमें वर्णित तथ्य मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही हैं।		
	3. शिकायतकर्ता का नाम और हस्ताक्षर:		
	टिप्पण – जो लागू न हो उसे काट दें।		
	प्ररूप–II		
	[विनियम 4 का उप-विनियम (1) देखें]		
~ ~			
सेवा मे			
			

कारण बताओ नोटिस

विषय: भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) के उपबन्धों का उल्लंघन.

महोदय/महोदया,	
तारीख को प्ररूप-I में प्राप्त अधिनियम, 1948 की धारा	ा शिकायत (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार, पर भेषजी
2. उपरोक्त उल्लंघन के संबंध में शास्ति अधिरोपि दिनों की अवधि के भीतर यह कारण बताना होगा	त की जानी है। अतः, आपको इस नोटिस को तामील किए जाने के कि शास्ति अधिरोपित करने के लिए भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा की जाए। यदि दी गई अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो
	न्यायनिर्णयन अधिकारी
तारीख और स्थान	
यदि दी गई अवधि के भीतर कोई उत्तर प्र	गप्त नहीं होता है, तो अधिनियम के अधीन आगे की कार्रवाई की जाएगी।
	न्यायनिर्णयन अधिकारी
तारीख और स्थान	
	प्ररूप-III
दस्त	ावेज़ या साक्ष्य प्रस्तुत करना
[विनिय	म 4 का उप-विनियम (5) देखें]
सेवा में,	· · · ·
1. मैं/हम,	
प्ररूप-I में की गई शिकायत का प्रत्यावेदन देता हूं/	देती हुं/देते हैं ।
जन आधारों पर प्रत्यावेदन दिया गया है वे इस प्र	**
2. मोबाइल नंबर और ई-मेल के साथ पोस्टल इंडे	क्स नंबर/कोड और राज्य सहित पूरा पता:
3. कथित उल्लंघनकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनि	धि के हस्ताक्षर:
4. मोबाइल नंबर के साथ उस व्यक्ति का नाम जिस	ाने हस्ताक्षर किए हैं:

प्ररूप-IV

अपील

[विनियम 5 का उप-विनियम (1) देखें]

सेवा में,	
अपील	गिय प्राधिकारी,
1. अपीलकर्ता व	नी विशिष्टियां:
(i) नाम:	
(ii) पत्राचार के	लिए पता:
(iii) संपर्क नंबर:	
(iv) ई-मेल:	
2. अपील के आ	धार:
(न्यायनिर्णयन उ	प्रधिकारी के आदेश की एक प्रति संलग्न की जानी है)
3. न्यायनिर्णयन	। अधिकारी के आदेश की तारीख:
4. तथ्यों का वि	वरण:
मैं/हम विश्वास के अनुस	, अपीलकर्ता घोषणा करता हूं/करती हूं/करते हैं कि इसमें उपर्युक्त तथ्य मेरे/हमारे संज्ञान, जानकारी और गार सही हैं।
5. अपीलकर्ता वे	ह हस्ताक्षर और तारीख:
6. अपीलकर्ता व	हा नाम:

PHARMACY COUNCIL OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2025

No. F. 19-1/2025-PCI.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) read with subsection (1) of section 18 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:—

- 1. Short title and commencement. (1) These regulations may be called the Pharmacy Council of India (Manner of Holding Inquiry and Imposition of Penalty) Regulations, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—
- (a) "Act" means the the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948);
- (b) "adjudicating officer" means an officer authorised under section 43A of the Act;

- (c) "appellant" means a person aggrieved with an order of adjudicating officer who prefers an appeal before the appellate authority under sub-section section (2) of section 43A of the Act;
- (d) "appellate authority" means the President, Central Council referred to in sub-section (2) of section 43A of the Act;
- (e) "Form" means a form appended to these regulations.
- (2) The words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.
- **3.** Complaint.— Any person may file a complaint in Form-I through electronic means or speed post or in person, to the adjudicating officer regarding any contravention of the provisions of the Act.
- 4. Holding of inquiry.— (1) On receipt of a complaint under regulation 3, the adjudicating officer shall issue a notice in Form-II to the person against whom such complaint has been filed, requiring him to show cause within such period as may be specified in the notice (being not less than seven days from the date of service thereof), why an inquiry should not be held against him.
 - (2) Every notice under sub-regulation (1) shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed.
 - (3) After considering the cause, if any, shown by such person, the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice requiring the appearance of that person personally or through a representative duly authorised by him on such date as may be fixed in the notice.
 - (4) On the date fixed, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his authorised representative, of the alleged contravention and the provisions of the Act, in respect of such contravention.
 - (5) The adjudicating officer shall, then, give an opportunity to such person to produce such documents or evidence in Form-III as he may consider relevant to the inquiry and if necessary, the hearing may be adjourned to a future date:

Provided that in taking any evidence under these regulations, the adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).

- (6) While holding an inquiry under these regulations, the adjudicating officer may require and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of the adjudicating officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.
- (7) If any person fails, neglects or refuses to appear as required under sub-regulation (3) before the adjudicating officer, the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.
- (8) If, upon consideration of the evidence produced before the adjudicating officer, the adjudicating officer is satisfied that the person has committed the contravention, he may by order in writing, impose such penalty under the Act, as he considers reasonable.
- (9) Every order made under sub-regulation (8) shall specify the provision of the Act in respect of which contravention has been committed and shall contain the reasons for imposing the penalty.
- (10) Every order made under sub-regulation (8) shall be dated and signed by the adjudicating officer.
- (11) A copy of the order made under this regulation and all other copies of proceedings shall be supplied free of cost to the complainant and the person against whom the inquiry was held.
- (12) The adjudicating officer shall complete the proceedings within six months from the issuance of the notice to the opposite party under sub-regulation (1).
- (13) A notice or an order issued under these regulations shall be served on the person against whom an inquiry is held, in any of the following manner, namely:—
 - (a) by delivering or tendering it to that person or his authorised representative; or
 - (b) by sending it to the person through electronic means or by registered post or speed post to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on or last carried on, business or personally works or last worked for gain; or
 - (c) if it cannot be served in the manner specified under clauses (a) or (b), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or has worked for gain.
- (14) For the purposes of conducting inquiry under these regulations, the adjudicating officer may take assistance of the Registrars or Inspectors appointed under the Act.

- **5.** Appeal.— (1) Any person aggrieved by an order of the adjudicating officer under these regulations, may prefer an appeal to the appellate authority in Form-IV.
 - (2) The appeal shall be filed with the appellate authority within a period of forty-five days from the date of receipt of the order:

Provided that the appeal may be admitted after the expiry of the period of forty-five days, if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.

- (3) The appeal shall be accompanied by a copy of order of the adjudicating officer issued under sub-regulation (8) of regulation 4 and a clear statement of facts appealed against, the grounds for appeal and contraventions under the relevant sections of the Act.
- (4) The appeal shall be filed in triplicate by the appellant or by his authorised representative duly appointed in writing in this behalf, in person or by registered post or speed post or through electronic means.
- (5) The appeal sent by post shall be deemed to have been filed before the appellate authority on the day it is received.
- (6) If, on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be admitted.
- (7) If the appeal is found to be defective, the same shall, after notice to the party, be returned for compliance and if within twenty-one days of receipt of such notice or within such extended time as may be granted, the defect is not rectified, the appellate authority, may, for reasons to be recorded in writing, reject the appeal.
- (8) A copy of the appeal shall be served by the appellate authority on the respondent by hand or by registered post or speed post or through electronic means.
- (9) The respondent may, within thirty days of service of notice of appeal, file reply to the appellate authority.
- (10) The appellate authority may call for the records relating to the proceedings from the adjudicating officer.
- (11) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders as he may consider reasonable.
- (12) The appellate authority shall dispose of the appeal within ninety days from the date of filing of the appeal.
- **6**. Order and penalties.— (1) Every order under these regulations, shall be dated, signed and communicated to all the parties.
 - (2) All sums realised by way of penalties under these regulations shall be credited to the account of the respective state pharmacy council.

ANIL MITTAL, Registrar-cum-Secy. [ADVT.-III/4/Exty./159/2025-26]

FORM I

(see regulation 3)

To,
The Adjudicating Officer
1. Particular of complainant:-
(a) Name:
(b) Address for service:

(d) Email (for service):

(c) Contact No:

- 2. Particulars of complaint:-
- (a) Date, time and instance of commission of the alleged contravention or default:
- (b) Statement of contravention or default setting out all relevant material particulars:

(c) Evidence in support of the statement:
(d) Tentative claimed amount (in pecuniary terms) with break-up:
I/We, the complainantherein declare that the facts stated herein are correct to the best of my/or knowledge.
3. Name and Signature of the Complainant:
Note. – Strike out whichever is not applicable.
Form –II
[See sub-regulation (1) of regulation 4]
To

SHOW CAUSE NOTICE
Sub: Contravention of the provisions of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948).
Sir/Madam,
As per the complaint received in Form-I dated(copy enclosed), contravention has been committee under section of the Pharmacy Act, 1948 at
2. The above contravention is liable for penalty. Therefore, you are required to show cause within a period of days of service of this notice, why an inquiry should not be initiated against you under section 43A of the Pharmac Act, 1948 for imposition of penalty. In case, no reply is received within the given period, further action shall be take under the Act.
Adjudicating office
Date and place In case, no reply is received within the given period, the further action shall be taken under the Act.
Adjudicating office
Date and place

FORM-III

Furnishing of document or evidence

		[See sub-regulation (5) of regulation 4]		
To				
1.	I/We,			
hereb	y give a co	ounter statement to the complaint made in Form-I		
The g	rounds in	which the counter statement is made are as follows:-		
_				
2.	Complete address including postal index number/code and state along with mobile number and e-mail:			
3.		ure of the alleged contravener or his authorised representative:		
4.	Name	of the person along with mobile number who has signed:		
		FORM-IV		
		Appeal		
		[See sub-regulation (1) of regulation 5]		
То		[See sub-regulation (1) of regulation 3]		
	llate Auth	ority		
		•••		
1.	Particu	Particulars of appellant:		
	(i)	Name:		
	(ii)	Address for correspondence:		
	(iii)	Contact No:		
	(iv)	Email:		
2.		ds of appeal:		

4. Statement of facts:

3.

(A copy of order of adjudicating officer to be enclosed) Date of order of the adjudicating officer:

I/We....., the appellant hereby declare that the facts stated herein above are correct to the best of my/our knowledge, information and belief.

- 5. Signature of appellant and date:
- 6. Name of appellant: